कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी, अनुभाग–बुरहानपुर जिला बुरहानपुर

क्रमांक /भू–अर्जन/2016 3014 बुरहानपुर दिनांक 02/08/2021

प्रति,

नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल

विषय :– भूअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 11 प्रारम्भिक अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

––00––

राजस्व प्रकरण क्रमांक ..अ.82/2015.16 में ग्राम नीमगांव तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुरकी निजी भूमि क्षेत्रफल 0.50 हेक्टर के भू–अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक–30, सन् 2013) की धारा–11(1) के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग जिला बुरहानपुर द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– 02 प्रतियां।

(के0आर0बडोले)
अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भूअर्जन अधिकारी, बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक /भू–अर्जन/2016 3015 बुरहानपुर दिनांक 02/8/2021

प्रतिलिपि :–

1– संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियॉं संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । **दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतिया इस अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन कार्यालय बुरहानपुर एवं कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।**

2– कलेक्टर महोदय, (भू–अर्जन शाखा) जिला बुरहानपुरकी ओर अधिसूचना की प्रति सह सादर प्रेषित।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट बुरहानपुर की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।

4– तहसीलदार बुरहानपुर की ओर 06 प्रतियॉं संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचनापटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।

5– कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7– जिला नाजिर कलेक्टोरेट बुरहानपुर की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व),
एवं भूअर्जन अधिकारी, बुरहानपुर
जिला बुरहानपुर(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग जिला--बुरहानपुर (म.प्र)

प्रारंभिक सूचना

अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013)

17-2-21

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनूसूची कं 1 में बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु ग्राम नीमगांव तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनूसूची (2) में उल्लेखित है, कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना में अंतरवलित लोक प्रयोजन की प्रकृति का, योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सारांश का और धारा 43 के अधिन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के प्रशासक की विशिष्टयों के कथन के आधार पर भी होगा। निम्न वर्णित अनूसूची (2) की भूमि की अनूसूची (1) में अंकित योजना हेतु अर्जन किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम–नीमगांव

तहसील–बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

क्रं	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टर में		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	0.05	0.00	0.05

अनूसूची (2)

बुरहानपुर जिले में रेहटा नीमगांव मार्ग पर मोहना नदी पर पहुँच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण। तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर की प्रभावित भूमि का विवरण

स. क्रं.	भूमि धारक का नाम	खसरा क्रं	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल रकबा	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ग्राम –नीमगांव							
1	सुवर्णा बाई पति बलीराम निवासी शाहपुर भूमि स्वामी	22	0.50	0	0.50	0.05	0	0.05
		योग	0.50	0	0.50	0.05	0	0.05

नोट– अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्वि या कमी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

(प्रवीण सिंह)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर,